कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 254 दिनांक – 26/03/22

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल।

विषय– मेसर्स झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा चतरा जिला अंतर्गत 132KV D/C Chatra to Hunterganj Transmission Line निर्माण हेतु कुल 53.2129 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल– 29.8784 हे0 एवं चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल – 23.3355 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक दिनांक

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत Transmission Line निर्माण से संबंधित प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेक लिस्ट के अनुसार किया गया। जॉचोपरान्त कतिपय त्रुटियाँ/कमियाँ पायी गयी जो निम्नवत् है :–

1) प्रस्ताव में संलग्न ऑनलाईन के फार्म A Part I पूराने वाले ही संलग्न है जबकि ऑनलाईन Part I में काफी संशोधन एवं FRA 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र तथा कई आवश्यक अभिलेख Additional information में अपलोड किया गया है। तदोपरान्त generate Part I प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ अपलोड करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है।
2) ऑनलाईन Part I की कंडिका k(i) में no अंकित है जबकि नियमतः yes अंकित होना चाहिए। साथ ही उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई ग्राम सभा की प्रति अपलोड करना है जिसे अन्य स्थान यानि Additional information के रूप में अपलोड किया गया है जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।
3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉची के दिशा निर्देशानुसार संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा Mannual Form II संलग्न तैयार कर उसकी हस्ताक्षरित प्रति Additional information में नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है।
4) Part II की कंडिका 13(i) में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल मौजा सोनपुर बिघा में एक पैच दर्शाया गया है जबकि नक्शा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इसमें दो पैच है। साथ ही नक्शा पर प्लॉट नं0 2 (अंश), 7 (अंश) एवं 8 (अंश) दर्शाया गा है जबकि Part II की कंडिका 13(i) में प्लॉट संख्या 2, 7 एवं 8 अंकित है। दोनों में विरोधाभाषी है इसे स्पष्ट किया जाय एवं आवश्यकतानुसार संशोधित भी किया जाय

5) प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित स्थल का नक्शा में प्रस्तावित स्थल को hatching colour से दर्शाते हुए Index में दिखाना अनिवार्य है जो नहीं किया गया है इसमें सुधार की आवश्यकता है।

6) प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दसवर्षीय प्राक्कलन as per वर्तमान में निर्गत schedule rate के अनुसार नहीं है क्योंकि अग्रिम कार्य में पिलर निर्माण का प्रावधान है तथा सामग्री पर 18% GST भी लेना है जो आपके प्राक्कलन में नहीं है। अतः इस हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थल व दसवर्षीय प्राक्कलन तैयार कर संलग्न किया जाय।

7) प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ मोहर अंकित नहीं है। अंकित किया जाय।

8) प्रस्ताव में आपके स्तर से संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि दिनांक 20.02.2021 को निरीक्षण किया गया है जिसके उपरांत लगभग 01 वर्ष समय व्यतीत होने के उपरांत प्रस्ताव समर्पित किये जाने का क्या औचित्य है, स्पष्ट किया जाय। जबकि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 05 हे0 से अधिक वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव को 01 माह के अन्दर निष्पादन किये जाने का प्रावधान है। विदित हो कि चतरा एक अति पिछड़ा जिला है जिसमें रोड, रेलवे लाईन, विद्युत लाईन आ चतरावासियों के लिए अतिआवश्यक है जिसे ध्यान में रखते हुए इस तरह विकासशील प्रस्तावों को यथाशीघ्र सरकार के स्तर तक पहुँचाने का दायित्व हम सबों का है।

अतः आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की सभी मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव सभी अभिलेखों के साथ यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

26/03/2022